23/5

समारहणालय, शिवहर

(जिला योजना कार्यालय)

–:: निविदा आमंत्रण सूचना ::–

मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना अन्तर्गत विभिन्न उच्च विधालय/मदरसो के लिए बेंच–डेक्स के क्रय हेतु निविदा प्रकाशन की तिथि से दिनांक 21.12.2016 के मध्याह्न 12:00 बजे तक निबंधित प्रतिष्ठानों/विक्रेताओं/आपूर्तिकर्ता से मुहरबन्द लिफाफा में निविदा आमंत्रित की जाती है। प्राप्त निविदा को दिनांक 21.12.2016 को ही अपराह्न 2:00 बजे जिला क्रय समिति के समक्ष खोला जाएगा, जिसमें निविदादाता स्वयं या उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते है। विस्तृत जानकारी के लिए निम्नलिखित **http//sheohar.bih.nic.in** पर देखा जा सकता है।

निविदा की शर्ते :–

1. तकनीकी एवं वित्तीय निविदा अलग–अलग मुहरबंद लिफाफे में जिसपर तकनीकी एवं वित्तीय निविदा अंकित हो, एक तीसरे बड़े लिफाफे में रखते हुए मुहरबंद कर भेजना अनिवार्य होगा तथा लिफाफे के उपर वित्तीय/तकनीकी निविदा अंकित होगा।
2. निविदादाता को अग्रधन राशि के रूप में तकनीकी संबंधी लिफाफा में 20 (बीस) हजार रू0 का बैंक ड्राफ्ट जो जिला योजना पदाधिकारी, शिवहर के पदनाम से शिवहर में देय हो, संलग्न करना होगा।
3. तकनीकी निविदा में सफल निविदादाता का ही वित्तीय निविदा खोला जायेगा।
4. तकनीकी संबंधी लिफाफा में निविदादाता को स्वअभिप्रमाणित DIC के अधीन निबंधन प्रमाण पत्र, बिहार दुकान एवं प्रतिष्ठान का निबंधन प्रमाण–पत्र, वैट रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र एवं स्थाई लेखा संख्या पैन नं0 तथा विगत तीन वर्षो का आयकर रिर्टन फाईल करने की प्रति संलग्न करना होगा। साथ ही इसी लिफाफा में निविदादाता को काली सूची में दर्ज नही होने संबंधी नॉट्री पब्लिक द्वारा हस्ताक्षरित शपथ पत्र देना होगा।
5. समरूप पूर्व कार्य अनुभव को प्राथमिकता दी जायेगी।
6. निविदादाता को सामग्री की आपूर्ति के बाद ही सभी करों की कटौती के पश्चात भुगतान किया जाएगा।
7. आपूर्ति की जानेवाली डेक्स–बेंच की साईज एवं निर्धारित स्पेशिफिकेशन (योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 4673 दिनांक 09.10.2014 में अंकित) निविदा प्रकाशन की तिथि से दिनांक 21.12.2016 के मध्याह्न 12:00 बजे तक जिला योजना कार्यालय, शिवहर से किसी भी कार्य दिवस में प्राप्त किया जा सकता है, एवं जिला के उक्त वेबसाईट पर देखा जा सकता है।
8. निविदा निबंधित डाक/स्पीड पोस्ट या अधोस्ताक्षरी के कार्यालय कक्ष में हाथों–हाथ निर्धारित समय तक प्राप्त कराया जा सकता है।
9. कार्यादेश प्राप्त होने के बाद एक माह के अन्दर डेक्स–बेंच की आपूर्ति संबंधित उच्च विधालया/मदरसो में निविदादाता/आपूर्तिकर्ता द्वारा अपने मार्ग व्यय पर करना होगा तथा आपूर्ति सामग्रियों पर ''मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना'' निश्चित रूप से अंकित होना चाहिए।
10. इस आशय का प्रमाण पत्र देना होगा कि उन्हें निविदा की सभी शर्तें मान्य है।
11. किसी भी निविदा को अंशतः या पूर्णतः निरस्त करने का अधिकार क्रय समिति/अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित होगा।

जिला योजना पदाधिकारी
शिवहर
2.12.16

2/12/16

जिला पदाधिकारी,
शिवहर